

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
वित्त/संस्थागत वित्त/सहकारिता/आई0 टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स/
कृषि/राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक आफ बड़ौदा, बड़ौदा हाऊस,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक: 02 अगस्त, 2017

विषय: फसल ऋण मोचन योजना का जनपद स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या: 540 बी/क0नि0-6-2017-01(बी)/2017 दिनांक 24 जून, 2017 के प्रारूप-दस्तावेज के पृष्ठ-14 के प्रस्तर-4 तथा प्रस्तर-4 के उप प्रस्तर (क), (ख), (ग), (घ), (ड.) एवं (च) के सम्बन्ध में बजट की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात उपबंधित धनराशि वितरण हेतु कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निवर्तन पर उपलब्ध रहने एवं उसके वितरण संबंधी प्राविधान में धनराशि जनपद स्तर से वितरित न करके मुख्यालय स्तर पर वितरित किए जाने के सम्बन्ध में निम्नवत संशोधन किए जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं:-


क्र0सं0	विद्यमान प्रस्तर	संशोधित प्रस्तर
14	(4) उपर्युक्त संस्तुतियों के आधार पर बैठक के कार्यवृत्त को संबन्धित पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। समिति द्वारा चिन्हित अर्ह किसानों की सूची वेब-पोर्टल पर समिति के सह-सचिव के डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से चिन्हांकित की जायेगी। फसली ऋण वितरण हेतु	(4) उपर्युक्त संस्तुतियों के आधार पर जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) की बैठक के कार्यवृत्त को संबन्धित वेब पोर्टल पर अंकित किया जायेगा तथा समिति द्वारा चिन्हित अर्ह किसानों की सूची पोर्टल पर समिति के सह-सचिव व सचिव दोनों के डिजिटल हस्ताक्षर से चिन्हांकित (लाकड) की जायेगी। फसली ऋण मोचन हेतु बजट का प्राविधान कृषि विभाग के अनुदान में किया गया है। इस योजना से सम्बन्धित समस्त वित्तीय

<p>बजट का प्राविधान कृषि विभाग के अनुदान में किया जायेगा। बजट की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात उपबन्धित धनराशि वितरण हेतु कृषि निदेशक के निवर्तन पर उपलब्ध रहेगी जिसका वितरण निम्न रीति से किया जायेगा।</p>	<p>अधिकार, बजट में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक, कृषि निदेशक में निहित होंगे। बजट की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात उपबन्धित धनराशि वितरण हेतु कृषि निदेशक के निवर्तन पर उपलब्ध रहेगी, जिसका वितरण निम्न रीति से किया जायेगा।</p>
<p>(क) जिला कृषि अधिकारियों से आवश्यक धनराशि संबन्धी अनुरोध (पोर्टल के माध्यम से) पर कृषि निदेशक द्वारा धनराशि की स्वीकृतियाँ प्रदान की जायें। उक्त स्वीकृतियाँ जिला कृषि अधिकारियों से धनराशि हेतु अनुरोध प्राप्त होने के तीन कार्य-दिवसों के भीतर आवंटन हेतु उप निदेशक, कृषि को जारी की जायेंगी।</p>	<p>(क) जिला स्तरीय समिति द्वारा समिति के सह सचिव तथा सचिव दोनों के डिजिटल हस्ताक्षर से लाकड अर्ह किसानों की सूची वेब पोर्टल पर कृषि विभाग के योजनाधिकारी (निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0) को अग्रसारित होगी। योजनाधिकारी द्वारा वेब पोर्टल में बैंकों द्वारा 'किसान श्रेणी' स्तम्भ में फीड की गयी सूचना के आधार पर बैंकवार तथा अनुदानवार (सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) लाभार्थियों की सूची एवं वित्तीय आवश्यकता का विवरण तैयार कर वित्त नियंत्रक के माध्यम से अनुदानवार धनराशि का आवंटन कृषि निदेशालय के राज्य स्तरीय आहरण वितरण अधिकारी को तीन कार्य-दिवसों के भीतर कराया जायेगा। ऋण मोचन योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अन्य प्रशासनिक व्यय का आवंटन एवं व्यय पूर्व स्थापित व्यवस्था एवं वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।</p>
<p>(ख) जिला स्तरीय समिति किसानों के ऋण खातों के सापेक्ष ऋण मोचन की जाने वाली धनराशि हेतु अंतिम अनुमोदन प्रदान करेगी और वितरण के सम्बन्ध में अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।</p>	<p>(ख) यथावत</p>
<p>(ग) आहरण एवं वितरण अधिकारी बिल के माध्यम से</p>	<p>(ग) कृषि निदेशालय के राज्य स्तरीय आहरण वितरण अधिकारी, इस योजना के अन्तर्गत</p>

<p>आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित करेगा और उसका वितरण जिला मुख्यालय पर स्थित समस्त बैंकों की नोडल शाखाओं को करेगा। इस वितरण के साथ नोडल शाखाओं को अर्ह किसानों के वितरण की एक सूची भी उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त धनराशि प्राप्त होने के तीन कार्य-दिवसों के भीतर नोडल शाखाओं को किसानों से सम्बन्धित ऋण खातों में धनराशि को जमा करना होगा।</p>	<p>फसली ऋण मोचन से सम्बन्धित प्रदेश के सभी जनपदों की धनराशि के आहरण एवं वितरण हेतु अधिकृत होंगे।</p> <p>वेब पोर्टल पर जिला स्तरीय समिति के सह सचिव व सचिव दोनों के द्वारा उक्त डिजिटली लाकड तथा राज्य स्तर पर अनुदानवार एवं बैंकवार संकलित डाटा के आधार पर कृषि विभाग के योजनाधिकारी, अनुदानवार देयक तैयार कर कृषि निदेशालय के राज्य स्तरीय आहरण वितरण अधिकारी को आहरण हेतु प्रस्तुत करेंगे। कृषि विभाग के राज्य स्तरीय आहरण वितरण अधिकारी, राज्य स्तर के नोडल कोषागार जवाहर भवन, लखनऊ से कोषागार पोर्टल के माध्यम से देयक आहरित कर धनराशि को वितरण हेतु राज्य मुख्यालय लखनऊ पर स्थित समस्त बैंकों की नोडल शाखाओं को हस्तान्तरित करेंगे।</p> <p>धनराशि के हस्तान्तरण के साथ ही राज्य स्तरीय नोडल शाखाओं को अर्ह किसानों के विवरण की सूची कृषि विभाग के योजनाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त धनराशि प्राप्त होने की तिथि से तीन कार्य-दिवसों के भीतर नोडल शाखाओं द्वारा समस्त पात्र किसानों से सम्बन्धित ऋण खातों में धनराशि को जमा करना होगा।</p>
<p>(घ) सम्बन्धित नोडल शाखाओं को आहरण एवं वितरण अधिकारी को उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें इस आशय का उल्लेख होगा कि नोडल शाखा द्वारा किसानों के खाते में धनराशियाँ जमा कर दी गयी हैं। यह प्रमाण पत्र धनराशि जमा करने के तीन कार्य-दिवसों के भीतर प्रस्तुत करना होगा, सूचना कृषि अधिकारी को भी दी जायेगी।</p>	<p>(घ) समस्त राज्य स्तरीय नोडल बैंकों द्वारा किसानों के खातों में धनराशि जमा करने के पश्चात् उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्र अपने डिजिटल हस्ताक्षर से पोर्टल पर तीन कार्य दिवसों के भीतर अपलोड करना होगा। यह सूचना कृषि विभाग के राज्य स्तरीय आहरण वितरण अधिकारी, योजनाधिकारी तथा समस्त सम्बन्धित जिला स्तरीय समिति को भी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।</p>
<p>(ड.) प्रत्येक नोडल शाखा में</p>	<p>(ड.) प्रत्येक बैंक द्वारा राज्य मुख्यालय लखनऊ</p>

<p>धनराशि के वितरण हेतु एक खाता खोला जायेगा। खाता खोले जाने के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी बैंकों से प्राप्त की जायेगी।</p>	<p>स्थित एक शाखा को नोडल शाखा घोषित किया जायेगा तथा नोडल शाखा में धनराशि के वितरण हेतु एक खाता खोला जायेगा। खाता खोले जाने के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी यथा खाता संख्या, आई0 एफ0 एस0सी0 आदि बैंकों द्वारा कृषि विभाग के योजनाधिकारी तथा कृषि विभाग के राज्य स्तरीय आहरण वितरण अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।</p>
<p>(च) एन0आई0सी0 द्वारा तैयार किए गए पोर्टल के माध्यम से उक्त उपभोग प्रमाण पत्र बैंक के राज्य मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा तदोपरान्त बैंक के राज्य मुख्यालय द्वारा हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण पत्र को कृषि निदेशक को प्रेषित किया जायेगा।</p>	<p>(च) समस्त बैंकों के राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण पत्र कृषि निदेशक को उपलब्ध कराया जायेगा।</p>

2. उपर्युक्त शासनादेश संख्या: 540बी/क0नि0-6-2017-01(बी)/2017 दिनांक 24 जून, 2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

 (राजीव कुमार)
 मुख्य सचिव।

संख्या: (1)/12-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. सचिव, वित्त विभाग (श्री मुकेश मित्तल), उत्तर प्रदेश शासन।
3. विशेष सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. विशेष सचिव, वित्त विभाग (श्री नील रतन कुमार), उत्तर प्रदेश शासन।
6. विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
7. महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश को समस्त ऋण प्रदाता संस्थाओं को प्रेषण हेतु।
8. प्रबंध निदेशक, यू0पी0 डेरको, लखनऊ।
9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
10. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।

आज्ञा से,

 (पवन कुमार)
 विशेष सचिव।